मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 24 सन् 1995

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995

[दिनांक 24 मई, 1995 के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1 - प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "आयोग" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग।

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है;

(ग) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2 - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें